POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2017/अंक 03

मासिक प्रेषण दि. 8 मार्च, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मार्च, 2017 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !

हर साल 15 मार्च का दिन 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। गांवों में रहने वाले लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी हो। वे जागरूक बनें और अपने गांव की भलाई के लिए उनमें सवाल खड़े करने की हिम्मत जागे। इसी मकसद को लेकर 1983 से 'ग्राम गदर' छापना शुरू किया गया था।

राजस्थान में यह उपभोक्ता आन्दोलन का पहला ऐसा ग्रामीण भित्ती पत्र है, जो जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। मुझे खुशी है, गांव वालों की नजर में आज भी इस भित्ती-पत्र की उस समय से ज्यादा अहमियत है। गांव के लोग सरकारी विकास योजनाओं को समझने लगे हैं और उनसे फायदा भी उठा रहे हैं। योजनाओं की कमियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में वे पीछे नहीं रहते। साथ ही उनमें अपने अधिकारों के लिए संगठित रूप से कार्रवाई करने की क्षमता भी बढ़ी है।

गांव वालों की नजर में यह आज भी उनके अधिकारों की जानकारी कराने और उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने में 'मील का पत्थर' साबित हो रहा है।

सरकारी विभागों, उपभोक्ता संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण बन्धुओं से प्राप्त पत्र इस तथ्य को उजागर करते हैं। वे इसमें छपी सामग्री को आम लोगों के लिए उपयोगी मानते हैं।

मैं संस्था की ओर से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

मां के पेट से लेकर मृत्यु तक हम सभी उपभोक्ता हैं!

अपने अधिकारों को जानिये

हम सभी उपभोक्ता हैं। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, वह उस वस्तु या सेवा का उपभोक्ता होता है। हर उपभोक्ता को अपने अधिकार प्राप्त हैं। सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। जिसमें उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता अदालतों की व्यवस्था की गई है।

- अधिनियम में हर उपभोक्ता को सुरक्षा, जानकारी, चयन, सुनवाई, क्षतिपूर्ति और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा स्वच्छ आबोहवा, रोटी, कपड़ा व मकान, शोषण विहीन अवसर और बहिष्कार के अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय सदन ने तो मान्यता दी है, परंतु ये इस कानून में वर्णित नहीं हैं।
- जब हम बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं, तो विक्रेता हमें ठगने की कोशिश करता है। कम तौल, घटिया माल तथा अधिक कीमत, मिलावट और सेवा में गड़बड़ी जैसे कई उदाहरण है। यदि कोई ऐसी गड़बड़ी करता है या सही सेवा नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।
- इन अदालतों में वकील करने की भी जरूरत नहीं होती। उपभोक्ता स्वयं अपनी पैरवी कर सकता है। अब हर राज्य में राज्य आयोग और हर जिले में उपभोक्ता मंच खुले हैं, जिनमें आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन सबसे ऊपर राष्ट्रीय आयोग दिल्ली में है जहां अपीलों व बड़े मामलों की सुनवाई होती है।
- हर उपभोक्ता को वस्तु एवं सेवा की खरीद करते समय रसीद या कैशमीमो अवश्य प्राप्त कर एक जिम्मेदार उपभोक्ता बनना चाहिए।

उपभोक्ता मंच से सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ते-लड़ते हो गए 19 साल

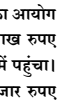

करीब 19 साल पहले गोविन्द शर्मा ने अपनी पत्नी और नवजात बच्चों ने अपनी मां को खोया, मामला उपभोक्ता मंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जिला उपभोक्ता मंच ने सेवायतन अस्पताल को लापरवाही का दोषी मानते हुए एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति व एक हजार रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए। दोनों ने 2004 में राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की। आयोग ने राशि दो लाख रुपए कर दी। इसके बाद मामला राष्ट्रीय आयोग में पहुंचा। राष्ट्रीय आयोग ने राशि को 4 लाख 50 हजार रुपए कर दिया।

अस्पताल ने राष्ट्रीय आयोग में फिर से गुहार लगाई तो अस्पताल को 10 हजार रुपए और देना पड़ गया। दोनों मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। कोर्ट ने राष्ट्रीय आयोग के फैसले को बरकरार रखते हुए अस्पताल को 50 हजार रुपए अलग से हर्जाना और देने के आदेश दिए।

अक्टूबर 1998 में हुए थे जुड़वां बच्चे

गोविन्द शर्मा ने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए जयपुर स्थित सेवायतन अस्पताल में भर्ती कराया था, वहां उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। राष्ट्रीय आयोग के आदेश में बताए गए तथ्यों के अनुसार अस्पताल ने महिला को समय पर खून नहीं चढ़ाया व उसे जनाना अस्पताल रैफर कर दिया।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 35 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ट पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2016 का विषय जिस पर उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

'जल स्वावलंबन अभियान'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2016 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2017 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, 5133259, फैक्स: 0141-2282485

समूह के माध्यम से बढ़े रोजगार

गांवों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बैंक ऋण के माध्यम से विभिन्न कार्यकलापों में भाग लेकर नये-नये रोजगार तलाश रही हैं।

अनेक महिलाओं ने दक्षता प्रशिक्षण लेकर छोटे-छोटे उद्योग धंधे भी शुरू किए हैं। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रख कर समूह की महिलाएं रेडिमेड कपड़ों की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, कच्चा घाणी तेल, सिलाई व कशीदाकारी, किराणा दुकान, कपड़े के बैग बनाना, दरियां व गलीचे बनाना, आयुर्वेदिक व हर्बल तेल-क्रीम व अन्य उत्पाद बनाना, आर्टिफिशियल ज्वैलरी तैयार करना, हैण्डीक्राफ्ट सामान, सोफ्ट टॉयज बनाना, पशु पालन को बढ़ावा देना एवं दुग्ध व्यवसाय जैसे कई काम धंधों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

पंचायत मुख्यालय बनेंगे 'स्मार्ट गांव'

प्रदेश के हर ग्राम पंचायत मुख्यालय को स्मार्ट गांव के तौर पर विकसित किया जाएगा। सरकार की स्मार्ट विलेज योजना करीब आधा दर्जन महकमों के तालमेल से धरातल पर आएगी। प्रदेश के सभी 9894 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को स्मार्ट गांव के तौर पर विकसित किया जाएगा। योजना में सभी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि इसके लिए सभी महकमों के अधिकारियों को योजना का खाका तैयार करने और वित्तीय प्रबंधन की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक

फार्म-4 (नियम 8)

'ग्राम गदर हिन्दी मासिक' के स्वामित्व का विवरण और अन्य विशिष्टियाँ जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अन्तिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-

1.	प्रकाशन का स्थान	-	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	-	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	-	भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
4.	प्रकाशक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
5.	सम्पादक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	-	एक मात्र स्वामी प्रदीप सिंह महता

मैं प्रदीप सिंह महता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

प्रदीप सिंह महता
प्रकाशक के हस्ताक्षर

देश में खुलेंगे जागरूक ग्राहक केन्द्र

देश में पहली बार जागरूक ग्राहक केन्द्र खोले जाएंगे। भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर का चयन किया है। योजना अगर सफल रही तो अन्य शहरों में भी यह केन्द्र खुलेंगे।

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले विभाग ने इसकी गाइड लाइन भेजी है। इसमें उपभोक्ता व दुकानदार स्वयं समझाइश से शिकायतों का निपटारा कर सकते हैं। केन्द्र से बाजारों के एसोसिएशन, व्यापार मंडल, स्थानीय उपभोक्ताओं, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन और विभागीय अधिकारियों को जोड़ा जाएगा।

जल अभियान में गुणवत्ता पर हो ध्यान

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दूसरे चरण में होने वाले जल संरक्षण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी कार्यों में विस्तृत कार्य योजना के आधार पर ही गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जल संरक्षण कार्यों में तकनीकी खामी होने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा तथा जिम्मेदारी तय कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जैविक खेती पर मिलेगा अनुदान

झालावाड़ में देश का पहला जैविक खेती का उत्कृष्टता केन्द्र बनाया जाएगा। इस केन्द्र के बनने से वहां जैविक खेती की उन्नत विधियों और तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

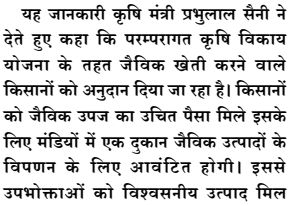

यह जानकारी कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने देते हुए कहा कि परम्परागत कृषि विकाय योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को जैविक उपज का उचित पैसा मिले इसके लिए मंडियों में एक दुकान जैविक उत्पादों के विपणन के लिए आवंटित होगी। इससे उपभोक्ताओं को विश्वसनीय उत्पाद मिल सकेगा।

उपभोक्ताओं के लिए 'डिजिटल इंडिया'

'डिजिटल इंडिया' भारत सरकार की एक खास पहल है। जिसका मकसद बिना कागज के इस्तेमाल किए सरकारी व अन्य सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है। योजना के तहत देश के ग्रामीण इलाकों तक को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। माना जा रहा है कि देश में इंटरनेट का दायरा बढ़ने के साथ ही दुनिया के डिजिटल भविष्य को आकार देने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

उपभोक्ताओं के वैश्विक संगठन 'कन्ज्यूमर इंटरनेशनल' ने भी इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को 'उपभोक्ता के लिए डिजिटल दुनिया का निर्माण करना' विषय पर मनाने का निर्णय किया है। महेनजर, प्रदेश की उपभोक्ता संस्थाएं इस अवसर पर अपने-अपने क्षेत्र में 'डिजिटल इंडिया' विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागृत और सचेत करें। कृपया कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ग्राम गदर' को अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

अफसरशाही होगी ज्यादा जवाबदेह

केन्द्र सरकार अब अफसरशाही को पारदर्शी, जवाबदेह और ज्यादा उत्पादक बनाने की कोशिश में जुटा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद कार्मिक व प्रशिक्षण महकमे ने सभी 36 अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों के लिए सालाना कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है।

मोदी सरकार बेहद ईमानदार व काम के प्रति समर्पित अधिकारियों को ही केन्द्र में जिम्मेदारी देगी। काम में लापरवाही बरतने और गैर जिम्मेदार व्यवहार करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा।

सवालिया निशान

प्रदेश में नसबन्दी शिविरों में चिकित्सकों की लापरवाही से कई माताएं मौत की ग्रास बन गई। जहरीली शराब से अनेक लोगों ने दम तोड़ दिया। सड़क दुर्घटनाओं में कितने ही लोग जान गंवा बैठते हैं। खाद्य पदार्थों में धड़ल्ले से हो रही मिलावट भी स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं है।

स्कूली बच्चे नुकसानदेय फास्ट फूड, खाद्य एवं पेय पदार्थों के सेवन से कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन उन्हें भ्रमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन सब पर नियंत्रण के लिए कानूनों में प्रावधान तो हैं, लेकिन प्रशासनिक विफलता के चलते सब बेमानी साबित हो रहा है।

-जी.के. भारद्वाज, मानसरोवर, जयपुर

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित। 'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोन: 228 2821 से 23 फैक्स: 0141-228 2485